

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072020-220610 CG-DL-E-21072020-220610

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] No. 355] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2020/ आषाढ़ 30, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020/ASHADHA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

सं.19/2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 459(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 7/3/2020-डीजीटीआर, दिनांक 7 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 7 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग।, खंड। में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अविध तक जारी रखने का अनुरोध किया है।

3217 GI/2020 (1)

अत: अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) अंक "3904 90 00" जहाँ कहीं भी आते हों. के स्थान पर अंक "3904 90 90" प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
- (ii) पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
- "3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 27 अक्तूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है या इसका अधिक्रमण नहीं होता है यो इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा।"

[फा. सं. 354/10/2019–टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, को सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2020

No. 19/2020 - Customs (ADD)

G.S.R. 459(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/3/2020-DGTR, dated the 7th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th February, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Fluoroelastomers (FKM)' originating in or exported from China PR, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2019-Customs (ADD), dated the 28th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 52(E), dated the 28th January, 2019, and has requested for extension of the said anti-dumping duty for a period of three months in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2019-Customs (ADD), dated the 28th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 52(E), dated the 28th January, 2019, namely:-

In the said notification, -

- (i) for the figures "3904 90 00" wherever they occur, the figures "3904 90 90" shall be substituted;
- (ii) after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 27th October, 2020, unless revoked, superseded or amended earlier."

[F. No. 354/10/2019-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 6/2019-Customs (ADD), dated the 28th January, 2019 was published *vide* number G.S.R. 52(E), dated the 28th January, 2019.